न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

राजस्व अपील सं. 12/2019

कुंवर सिंह पुत्र शिवचरन जाति गूजर निवासी अजान हाल निवासी बीनारायन गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
2. करनसिंह पुत्र शिवचरन जाति गूजर निवासी अजान हाल निवासी बीनारायन गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 817 दिनांक 10.05.1979 तहसीलदार भरतपुर

उपस्थितः

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 2

निर्णय

दिनांकः—22.10.2019

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरुद्ध आदेश दिनांक 10.05.1979 तहसीलदार भरतपुर बावत नामान्तकरण संख्या 817 विरुद्ध रेस्पोडेण्टान इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि अपीलांट ने गत खसरा नं0 989 रकवा 1 बीघा 2 बिस्वा, 994 रकवा 5 विस्वा, 996 रकवा 1 बीघा किता 3 रकवा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके चक न01 भरतपुर दिनांक 3.12.1973 को जरिये पंजीकृत वयनामा घूडिया पुत्र जीवा कौम माली साकिन बीनारयण गेट भरतपुर से व एवज 2500 रूपये में क्रय किया था और क्रय करने के बाद विक्रेता काबिज खातेदार घूडिया ने अपने खातेदारी अधिकार समस्त अपीलांट को इस वयनामा से दे दिये तथा कब्जा सौंप दिया था। खातेदारी अधिकार देने व कब्जा देने का अंकन विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1973 में अंकित है।

विक्रय पत्र के बाद राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन अपीलांट के नाम नामान्तकरण के आधार पर होना था जैसा कि नामान्तकरण संख्या 817 के खाना नम्बर 14 में रजिस्टर्ड वयनामा मुवलिग 2500/— रूपये तारीख 3.12.

1973 के आधार पर हल्का पटवारी ने इसी वयनामा को अपनी विशेष टिप्पणी खाना नम्बर 16 में आधार मानकर दिनांक 01.03.1978 को नामान्तकरण खोला है तथा दिनांक 05.08.78 को खरीददार के मौके पर कब्जे की पुष्टि की है परन्तु खाना नम्बर 11 में अपीलांट क्रेता के नाम के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 2का नाम गलत रूप से अंकित कर दिया है। और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह जानते हुए भी कि इस आराजी की बावत उसके पास कोई टाइटिल या वयनामा आदि उसके पास नहीं है। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से मिलकर गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 817 के खाना नम्बर 11 में अपना नाम अंकित करवा लिया है। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज चला आ रहा है।

गलत नामान्तकरण के आधार पर चले आ रहे गलत खातेदारी के इन्द्राज का लाभ लेने के कारण दिनांक 25.06.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विवादित आराजी को रहन, व्यय ,मुन्तकिल करने व अपीलांट के कब्जे में हस्तक्षेप करने की धमकी दी तो अपीलान्ट को जानकारी करने पर पता लगा कि वयनामा दिनांक 03.12.1973 के आधार पर खाना नम्बर 11 में अपीलांट क्रेता के नाम के बजाय रेस्पो0 संख्या 2 का नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार दिनांक 15.07.2019 को नकल प्राप्त कर प्रथम वार जानकारी होने से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। यदि अपील को अन्दर अवधि नहीं माना गया तो अपीलांट क्रेता को अपूर्णनीय क्षति होगी और वह अपने खरीदे हुए रकवा के लाभ से वंचित हो जावेगा। विवादित आराजी में ही अपीलांट की इजाजत से उसके छोटे भाई ईश्वरसिंह ने अपने निजी खर्चे पर 107 X 77 हिस्सा पर पुख्ता कोठी (मकान) निर्मित करवाया है। जिसमें वह अपनी गृहस्थी के साथ रिहायस कर रहा है।

इस प्रकार अपीलांट द्वारा निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 817 दिनांक 10.05.1979 वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 1 अपास्त किया जावे व वयनामा दिनांक 03.12.1973 में अंकित खरीददार (अपीलांट) के नाम नामान्तकरण स्वीकार कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के साथ शपथ पत्र पेश किया है तथा नामान्तकरण 817 व नकल वयनामा दिनांक 3.12.1973 व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है।

न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, मियाद अधिनियम को स्वीकार किया गया तथा अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी की गई। दिनांक 01.10.2019 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली पर उभयपक्ष के अभिभाषक गण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा वरविनाय राजीनामा अपील स्वीकार करने का अनुरोध अपनी बहस में किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि अपीलाधीन साविक खसरा नम्बरान को अपीलांट द्वारा जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 03.12.1973 को घूडिया पुत्र जीवा जाति मालि निवासी बीनारायन दरवाजा भरतपुर से क्रय किया और कब्जा भी प्राप्त किया। तदोपरान्त वयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 817 दिनांक 10.05.1979 को तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत किया गया परन्तु नामान्तकरण कुंवरसिंह पुत्र शिवचरन कौम गूजर साकिन अजान तहसील भरतपुर (अपीलांट) के नाम न होकर करनसिंह पुत्र शिवचरन जाति गूजर निवासी अजान तहसील भरतपुर (रेस्पो0 संख्या 2) के हक में तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत कर दिया जो स्पष्ट तौर पर वयनामा दिनांक 03.12.1973 से भिन्न रहा । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वयनामा में दर्ज साविक खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बरान 1402 /0.18, 1408/0.04,1410/0.10,1411/0.06 वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 1 बंदोबस्त विभाग द्वारा निर्मित किये है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा दिनांक 01.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलांट के हक में राजीनामा भी दिया है जिसके अनुसार रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा यह स्वीकार किया है कि उसके नाम नामान्तकरण संख्या 817 दिनांक 10.05.1979 गलत तस्दीक किया है जो भूल से किया गया है तथा रेस्पो0 संख्या 2 ने अपीलाधीन आराजी घूडिया या अन्य से नहीं खरीदी और नाहीं रेस्पो0 संख्या 2 करनसिंह का कब्जा है। दाखिल खारिज संख्या 817 दिनांक 10.05.1979 तहसीलदार भरतपुर द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 करनसिंह के हक में स्वीकृत किया है, को निरस्त करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है तथा विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1973 के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तकरण होने में उसे कोई भी ऐतराज नहीं है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर करन सिंह का नाम हठाकर अपीलांट के नाम विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1973 के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने की सहमति भी जरिये राजीनामा दी है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार तथा पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 817 दिनांक 10.05.1979, पंजीकृत वयनामा दिनांक 03.12. 1973 व मिलान क्षेत्रफल तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10.10.2019 के आधार पर अपीलांट अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 817 दिनांक 10.05.1979 वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 1 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1973 के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जोगा राम)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Date: 2019.11.14 14:19:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: